तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15.3.18	प्रतिवादीगण की तरफ से अधिव. श्री त्रिवेणी यादव उपस्थित। फैसल वार्ता हेतु पत्रा. दिनांक 26.4.18 को पेश हो।
	26.4.18 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य [illegible] कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 27.6.18 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2018
27.6.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो गया, फैसल हो। अधिवक्ता वादी ने विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति के हस्ताक्षर किये हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट [illegible]

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
-00-
राजस्व वाद पत्र संख्या ..../12/..
-00-
हेमराज पुत्र प्रभूलाल आयु 26 वर्ष
नान्दला तहसील नसीराबाद
1. कंचन
2. [illegible]
17/6/16

पर्चा अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– डा0 अनुपमा टेलर (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 112 / 2016

उनवान

हेमराज पुत्र प्रभुलाल जाति माली नि0 ग्राम नान्दला, नसीराबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. कंचन पत्नी जगदीश
2. गीता पत्नी मंगल
3. सुमित्रा पत्नी गोविन्द जाति जाट नि0 चाट नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री अश्विनी धुन्ना
4 जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर) सत्यमेव जयते

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31.1.17

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू के खसरा नम्बर 140, 141, 143 किता 3 रकबा 0.95 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है जिस पर वादी का 1/3 हिस्सा व हक निहित है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 2/3 हिस्स निहित है। उक्त आराजी का आदिनांक तक विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी करते है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरियें थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी के विभाजन हेतु तत्पर व तैयार है। आराजी मुतनाजा का विभाजन मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर किये जाने पर जवाबकर्ता को कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादी व प्रतिवादीगण दोनो ही उक्त आराजी का विभाजन कराने हेतु सहमत है। प्रतिवादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा का विभाजन मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर किया जावे। किन्तु आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम धोलादांता देराठू के खसरा नम्बर 140, 141, 143 किता 3 रकबा 0.95 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार'''** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.1.17 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

<u>प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई</u>
<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद</u>

उनवान

हेमराज बनाम कंचन वगै0

दावा बाबत :– 53, 188, राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 112 / 2016
पेश करने की दिनांक – 06.07.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू डा0 अनुपमा टेलर (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुद्दई नितेश यादव व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम धोलादांता देराठू के खसरा नम्बर 140, 141, 143 किता 3 रकबा 0.95 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक--------- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 31 माह जनवरी सन् 2017 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद